Annexure -XXXVI

उत्तरांचल सूचना आयोग
सैक्टर 1,सी–10 डिफेंस कालोनी, देहरादून
दूरभाषः 0135– 2666778, 2666779

पत्रांकः 670 / उ.सू.आ. / मु.सू.आ. / 2006 दिनांकः 18, अप्रैल, 2006

1. श्रीमती विनीता कुमार
   स्थानिक आयुक्त, उत्तरांचल शासन, दिल्ली

2. श्री सी.एम. बेरी
   पुनर्गठन आयुक्त, उत्तरांचल शासन, लखनऊ

आप अवगत ही हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम दिनांक 12 अक्टूबर, 2005 से प्रभावी हो गया है। शासन स्तर से सभी लोक प्राधिकारियों (Public Authority) के यहां लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नामित किये जा चुके हैं।

2. राज्य सूचना आयोग को अपने क्षेत्रीय भ्रमणों, आयोग को प्रेषित शिकायतों एवं विभिन्न श्रोत्रों से प्राप्त सुझावों के आधार पर यह दृष्टिगोचर हुआ है कि नागरिकों को सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने तथा सूचना प्राप्त करने में अभी भी कठिनाईयां अनुभव हो रही है। प्रथम तो नागरिकों को स्वतः यह ज्ञात नही हो पा रहा है कि सूचना प्राप्त करने हेतु वह अपना आवेदन पत्र औपचारिकता पूर्ण करने उपरांत किस लोक प्राधिकारी कार्यालय में किस अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करे। दूसरा यह कि यदि वह सूचना प्राप्ति हेतु अपना आवेदन पत्र भ्रमवश अथवा त्रुटि से किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कार्यालय में जिसका उस आवेदन पत्र से कोई संबंध नही है, प्रस्तुत करता है तो वह आवेदन पत्र उसे लौटा दिया जाता है अथवा उसे यह सलाह दी जाती है कि वह संबंधित लोक प्राधिकारी से सम्पर्क करें। इस प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब तो होता ही है साथ ही आवेदक भी हतोत्साहित होता है। इस समस्या के निदान हेतु सम्यक विचारोपरांत राज्य सूचना आयोग ने विनिश्चय किया है कि उत्तरांचल शासन के महत्वपूर्ण लोक प्राधिकारी–कार्यालयों को आम नागरिकों के लिए सुविधा केन्द्रों (Facilitation Centers) के रूप में विकसित किया जाय। इन सुविधा केन्द्रों (Facilitation Centers) में कोई भी नागरिक उत्तरांचल शासन के अधीन किसी भी लोक प्राधिकारी (Public Authority) कार्यालयों से संबंधित सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दे सकता है। इन कार्यालयों में नामित लोक सूचना अधिकारी उसके आवेदन पत्र को संबंधित लोक प्राधिकारी को जिससे वह संबंधित हो, आवेदनकर्ता को सूचित करते हुए प्रेषित करेगा। किसी भी दशा में आवेदन पत्र आवेदक को लौटाया नही जायेगा, अपितु इन कार्यालयों में नामित लोक सूचना अधिकारी उसे संबंधित लोक प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे।

3. उपरोक्त आशय का शासनादेश संख्या– 146 / सू. / XXXI (13) G- / 2006 दिनांक 22 मार्च, 2006 मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन की ओर से भी निर्गत किया गया है (सुलभ संदर्भ हेतु प्रति संलग्न)। उक्त शासनादेश के साथ संलग्नक–7 में सूचना के ऐसे अनुरोध को दूसरे लोक प्राधिकारी को हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रपत्र का प्रारूप भी दिया गया है।

4. उत्तरांचल शासन के दो प्रमुख कार्यालय– स्थानीय आयुक्त कार्यालय एवं पुनर्गठन आयुक्त कार्यालय क्रमशः नई दिल्ली तथा लखनऊ में अवस्थित हैं। उक्त दोनों कार्यालय सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा– 6(1) के अधीन प्राप्त सभी लोक प्राधिकारियों से संबंधित आवेदन

पत्र प्राप्त करेंगे एवं उसे संबंधित लोक प्राधिकारी को निस्तारण हेतु आवेदक को सूचित करते हुए भेजेंगे।

5. कृपया उपरोक्तानुसार अपने—अपने कार्यालयों में उक्त व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा अपने स्तर से इसका व्यापक प्रचार—प्रसार भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें ताकि आम नागरिकों को भी इस सुविधा की जानकारी हो सके।

(आर.एस. टोलिया)
मुख्य सूचना आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख सचिव, पुनर्गठन, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन, उत्तरांचल शासन, देहरादून।

(आर.एस. टोलिया)
मुख्य सूचना आयुक्त